UPBJ010053512026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1956/2026

1–रिहान पुत्र स्व0 मोहम्मद हसन उर्फ कालिया,
निवासी–ग्राम बोरेकी, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–399/2025
धारा–105 भारतीय न्याय संहिता
थाना–नजीबाबाद, जिला–बिजनौर।

आवेदक की ओर से श्री अनिल कुमार चौधरी, एडवोकेट।
राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–23.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **रिहान** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "मुल्जिमान वादी के गांव के ही रहने वाले है जो कि बेहद सरकश व झगड़ालू किस्म के लोग है और मुल्जिमान ईष्या के कारण वादी व उसके परिवार से रंजिश रखते है। मुल्जिमान कई बार वादी के नाबालिग पुत्र फैसल (उम्र 14 वर्ष) को जान से मारने व भुगत लेने की धमकी दे चुके हैं। दिनांक 01.06.2025 को समय करीब 8 बजे शाम की घटना है, मुल्जिमान रिहान व वकीला ने आपस में एकराय होकर षड्यंत्र के तहत वादी के पुत्र फैसल की हत्या करने के लिए किसी अज्ञात लड़के को वादी के घर भेज कर घर के बाहर से फैसल को आवाज लगवाई। आवाज वर फैसल घर से बाहर चला गया था, जब काफी देर तक फैसल घर वापस नहीं आया तो वादी व उसकी पत्नी गुलिस्ता अपने पुत्र फैसल को तलाश करने के लिए गांव में निकल गए थे, तभी समय 08:30 बजे रात्रि जब वादी व उसकी पत्नी गुलिस्ता ग्राम प्रधान अहसान के घर के पास स्थित चौराहे से कुछ पहले पहुंचे तो हसीनुद्दीन व दिलशेर ने उनकी और दौडते हुए आकर घबराते हुए वादी व उसकी पत्नी को बताया कि मुल्जिमान रिहान व वकीला ने दो अज्ञात लड़कों के साथ मिलकर तुम्हारे पुत्र फैसल को जमीन पर पर गिराकर मारपीट कर रहें हैं। वादी तुरन्त उपरोक्त हसीनुद्दीन व दिलशेर को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तो वादी ने देखा कि मुल्जिमान ने वादी व उसकी पत्नी गुलिस्ता के पुत्र फैसल को सड़क पर गिरा रखा है और मुल्जिमान रिहान व वकीला एवं दो अज्ञात लड़के फैसल के सीने पर दिल के ऊपर बार–बार घूसों से वार कर रहे हैं, वादी के शोर मचाने पर मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, वादी के पुत्र फैसल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, वादी मौके पर मौजूद लोगों की मदद से अपने पुत्र फैसल को अपने

गांव के नजदीक स्थित आदित्य अस्पताल बशीरपुर में लेकर गया, जहां चिकित्सकों द्वारा भी फैसल को मृत घोषित कर दिया गया था। घटना की सूचना उसी समय थाना नजीबाबाद में दे दी थी, सूचना पर पुलिस गांव में आ गई थी और पुलिस ने वादी के पुत्र फैसल के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, किन्तु पुलिस द्वारा वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस कारण मुल्जिमान से हमसाज होकर चौराहे पर स्थित मकान मालिकों एवं ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी कैमरे की सी0सी0टी0वी0 फुटेज भी डिलीट कर दी गई, जबकि मुल्जिमान द्वारा सरकारी कैमरे की रेंज में ही घटना कारित की गई है। वादी ने फैसल के शव को पोस्टमार्टम से आने के बाद देखा तो उसके शरीर पर जगह जगह नीलगू निशान थे, किन्तु पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा भी फैसल के शरीर पर कोई निशान नही दर्शाए गए हैं तथा वादी के 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र फैसल को विवाहित लिखा गया है। पुलिस थाना नजीबाबाद द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर वादी ने पुलिस उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र प्रेषित किए तथा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, किन्तु आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है।" वादी द्वारा उपरोक्त घटना की थाने पर रिपोर्ट न लिखे जाने पर घटना के संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत कर रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने की याचना की गई।

4– वादी दिलशाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या–399/2025, धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 का अभियोग अभियुक्तगण रिहान, वकीला व दो अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा दौराने विवेचना धारा–103(1),3(5) बी0एन0एस0 का लोप करते हुए धारा–105 बी0एन0एस0 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में रंजिश एंव पार्टीबन्दी की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी बेगुनाह है। वाद उपरोक्त की घटना दिनाँक 01–06–2025 को आरोपित की गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से 15–11–2025 को 12:15 बजे होना आरोपित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है जिसका कोई युक्ति युक्त स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही है। प्रारम्भ में यह आरोपित किया गया था कि फैसल घर से खेलने के लिए निकला था उसके पिता दिलशाद को राशिद नाम के व्यक्ति ने बताया कि फैसल निहत्था है जब दिलशाद राशिद के घर के पास आया तो वहाँ एकत्रित लोगों से पता चला कि फैसल का रिहान के साथ खेत खेत में झगडा हुआ फैसल के हाथापायी में गुम चोट आना आरोपित किया गया, जहाँ उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। बाद में वादी पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 का सी0जे0एम0 बिजनौर के न्यायालय में दिया जिसमे संक्षेप में यह आरोपित किया कि रंजिश की बिनाह पर वादी के पुत्र को अज्ञात लड़के से बुलवाया तथा रिहाना वकीला व दो अज्ञात लोगों ने मिलकर फैसल को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के प्रार्थना पत्र हर महत्वपूर्ण बिन्दू पर गंभीर विरोधाभाष है। चुटैल के शरीर पर मृत्यु पूर्व कैसी भी कोई चोट हाथापायी अथवा मारपीट का कोई लक्षण शव पर नहीं पाया गया है उसका हृदय बढा हुआ बताया गया है तथा मृत्यु का सही कारण भी पता नहीं चल पाया है। मृतक के शरीर पर ऐसा कोई लक्षण भी नहीं है कि मृतक की छाती पर घूसे भी मारे गये है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र का आपराधिक मानव वध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

7– केस डायरी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर एक राय होकर वादी के पुत्र फैसल के साथ मारपीट करके उसकी मृत्यु कर आपराधिक मानव वध करने का आरोप है। अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त है। सी0डी0 के पर्चा सं0 2 पर वादी दिलशाद अपने बयान अन्तर्गत 180 बी0एन0एस0एस0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनों का समर्थन किया है और यह भी कहा है कि "दिनांक 01.06.2026 को उसके बेटे फैसल को घर से कोई बुलाकर ले गया था, जब मेरा लड़का काफी देर तक घर नहीं आया तो तलाश करने लगे तो मेरे भाई हसीनुद्दीन व दिलशेर मेरे पास दौड़ते हुये आये और बताया कि रिहान व वकीला व दो अज्ञात लड़कों ने मिलकर फैसल को मारपीट कर जमीन पर गिरा रखा है, हम दौड़कर वहां पहुंचे तो वहां काफी भीड़ थी, मेरा लड़का जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने व परिजनों ने अपने पुत्र को उठाकर देखा तो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर हम उसे आदित्य अस्पताल बशीरपुर लेकर आये थे। डाक्टरों ने मेरे पुत्र को मृत घोषित कर दिया था।" उपरोक्त मामले में घटना के अन्य साक्षीगण हसीनुद्दीन चश्मदीद साक्षी, गुलिस्ता, नूर आलम चश्मदीद साक्षी, उवैद चश्मदीद साक्षी, हमजा चश्मदीद साक्षी, शाद चश्मदीद साक्षी व वाजिश चश्मदीद साक्षी ने भी अपने बयान अन्तर्गत 180 बी0एन0एस0एस0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनों तथा घटना का समर्थन करते हुए रिहान द्वारा फैसल के साथ मारपीट करने, फैसल के सीने पर गुट्टे बजाने तथा उसकी मृत्यु होने संबंधी कथन किये गये हैं। केस डायरी पर उपलब्ध राय पंचान में मृतक की मृत्यु कारण मृतक फैसल व रिहान के मध्य खेल खेल में आपस में झगड़े में आयी गुम चोटों के कारण प्रतीत होना बताया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक की मृत्यु का निश्चित कारण नहीं बताया गया है। मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया है। केस डायरी में उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित है कि वादी के पुत्र फैसल की मृत्यु अभियुक्त रिहान द्वारा मारपीट किये जाने से होना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय व गंभीर प्रकृति का है।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **रिहान** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–399/2025, धारा–105 भारतीय न्याय संहिता, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–23.06.2026

(लोकेश नागर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.06.23 16:35:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court